मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 259-60 प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/1220/2020
भोपाल, दिनांक 19/02/2021

आवेदकः–
मेसर्स बॉक्स कॉरूगेटेड एण्ड ऑफसेट प्रिंटर्स,
14–बी, सेक्टर–आई,
इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा,
भोपाल – 462 023 (मध्यप्रदेश)

विरूद्ध

अनावेदकः–
प्रबंध संचालक,
बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन
कार्पोरेशन लिमिटेड
पाठ्य पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग,
पटना – 800001

अन्तिम सुनवाई दिनांक 06.01.2021
माध्यस्थम आदेश दिनांक 16-02-.2021

आवेदक ने दिनांक 28.09.2020 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदक के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 15,36,511/– एवं इस राशि पर दिनांक 30.09.2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 8,96,836/– तथा अनावेदक से विलंब से प्राप्त भुगतान पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि एवं इस पर दिनांक दिनांक 30.09.2020 तक की कुल संगणित ब्याज राशि रू. 20,02,954/– इस प्रकार कुल राशि 44,36,300/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

(1) **अनावेदक** बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान, बिहार के पैकेज–5 के अन्तर्गत (वर्ग–4) एवं पैकेज–6 के अन्तर्गत (वर्ग–7) की कक्षावार/भाषावार पाठ्य पुस्तको को कागज सहित मुद्रण, बंधाई पैकिंग एवं राज्य के सभी प्रखण्डों में आपूर्ति करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर ई–निविदा आमंत्रित की गई। आमंत्रित ई–टेन्डरिंग के माध्यम से आवेदक से प्राप्त न्यूनतम दर पर निविदा में सन्निहित शर्तो के अधीन अनावेदक द्वारा दो मुद्रण/आपूर्ति क्रयादेश पत्रांक 1333, दिनांक 18.07.2017 – पैकेज–5 के अन्तर्गत (वर्ग–4) हेतु एवं क्रयादेश पत्रांक 1335, दिनांक 18.07.2017–पैकेज–6 के अन्तर्गत (वर्ग–7) हेतु आवेदक को जारी किये गये।

.....2

प्रदाय आदेशानुसार पत्र दिनांक 22.08.2017 अन्तर्गत दिनांक 21.08.2017 से 21.08.2018 तक की अवधि हेतु राशि रू. 22,38,756/– की बैंक गारंटी क्रमांक 0283IGPER000917 एवं राशि रू. 10,63,570/– की बैंक गारंटी क्रमांक 0283IGPER000817 आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई तथा आवेदक एवं अनावेदक द्वारा दिनांक 24.08.2017 को प्रदाय आदेश क्रमांक 1333 एवं 1335 दिनांक 18.07.2017 के अनुसार कार्य संपादन हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया ।

(2) अनावेदक के प्रदाय आदेश एवं अनुबंध अनुसार आवेदक द्वारा अनावेदक को डिलीवरी चालान एवं बिल्टी दिनांक 10.10.2017 से दिनांक 27.10.2017 तक सामग्री का प्रदाय कर निम्नानुसार प्रदायित सामग्री के बिल भुगतान हेतु अनावेदक को प्रस्तुत किये गये :–

स. क्र.	बिल नंबर एवं दिनांक	प्रदायित पुस्तको का विवरण दर एवं संख्या			कुल बिल राशि रू.
		गणित–4 Rs.32.500/Book	हिसाब–4 Rs.32.500/Book	गणित–7 Rs.60.865/Book	
1	595, 26.10.17	618663	16169	82484	25652428.91
2	598, 26.10.17	172575	4240	44866	8477256.59
3	601, 26.10.17	336528	8671	67519	15328511.00
4	603, 27.10.17	121854	1031	97627	9935829.30
5	624, 27.10.17	82452	2284	53140	5988286.10
6	626, 27.12.17	13171	68	3846	664064.20
		1345243	32463	349482	66046376.10

(3) अनावेदक द्वारा आवेदक से जमा कराई गई ईएमडी की रशि भी सामग्री प्रदाय के उपरांत विमुक्त की गई है। अतः आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में कोई विवाद नही है।

(4) आवेदक एवं अनावेदक के मध्य दिनांक 24.08.2017 को प्रदाय आदेश क्रमांक 1333, एवं 1335 दिनांक 18.07.2017 के सन्दर्भ में निष्पादित अनुबंध अनुसार सामग्री का प्रदाय 75 दिवस में किया जाना था। **अनावेदक द्वारा जारी प्रदाय आदेश में प्रदायित सामग्री के भुगतान की शर्त क्रमांक–5 निम्नानुसार है :–**

"पुस्तको की आपूर्ति के पश्चात आपूर्तित पुस्तको के रनिंग विपत्र का 90 प्रतिशत भुगतान सात दिनों मे एवं पूर्णतः आपूर्ति के पश्चात 8 प्रतिशत भुगतान तथा पूर्णरूपेण आपूर्ति एवं विभागीय सत्यापन के पश्चात 2 प्रतिशत भुगतान 6 महीना के अन्दर कर दिया जायेगा।"

(5) अनावेदक द्वारा प्रदायित सामग्री की कुल राशि रू. 6,60,46,376/– में से राशि रू. 6,45,09,865/– का भुगतान किया गया है तथा राशि रू. 15,36,511/– का भुगतान अनावेदक पर बकाया है।

(6) आवेदक द्वारा प्रदायित पुस्तको की अन्तिम एवं पूर्णतः आपूर्ति दिनांक 27.10.2017 है। अनावेदक द्वारा जारी दोनों प्रदाय आदेश में प्रदायित सामग्री के भुगतान की शर्त क्रमांक–5 अनुसार

.....3

दिनांक 27.10.2017 के पश्चात देयको की कुल राशि रू. 6,60,46,376/– में से 90 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत कुल 98 प्रतिशत राशि रू. 6,47,25,448.48 का भुगतान सात दिवस में दिनांक 03.11.2017 तक किया जाना था तथा विभागीय सत्यापन के पश्चात 2 प्रतिशत राशि रू. 13,20,927.52 का भुगतान 6 महीना के अन्दर किया जाना था। चूँकि अनावेदक को आवेदक द्वारा अविवादित सम्पूर्ण सामग्री का प्रदाय दिनांक 27.10.2017 तक किया जा चुका है तथा एमसएमईडी एक्ट 2006 की धारा 2 (ख) जिसमें नियत दिन (अपाईन्टड डे) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–

(ख) नियत दिन" से प्रदायकर्ता से क्रेता द्वारा किसी माल या किन्हीं सेवाओं की स्वीकृति के दिन या समझी गई स्वीकृति के दिन से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति के ठीक बाद का अगला दिन अभिप्रेत है ।

(7) अतः अधिनियम अन्तर्गत किसी माल या किन्ही सेवाओं की स्वीकृति की अवधि 15 दिवस मान्य की गई है। तद्नुसार 2 प्रतिशत राशि रू. 13,20,927.52 पर ब्याज की गणना 15 दिवस पश्चात से की जा रही है।

अनावेदक द्वारा 98 प्रतिशत राशि रू. 6,47,25,448.48 मे से विभिन्न दिनांकों में 14 से 130 दिवस विलंब से कुल राशि रू. 6,45,09,865.00 (97.68%) का भुगतान किया है तथा इसमे सें राशि रू. 2,15,583.48 (0.32%) तथा शेष 2 प्रतिशत राशि रू. 13,20,927.52 इस प्रकार कुल राशि रू. 15,36,511/– अनावेदक से अप्राप्त है।

(8) आवेदक द्वारा अनावेदक से सम्पर्क कर प्रदाय आदेश की शर्तानुसार, भुगतान करने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु अनावेदक द्वारा प्रदाय आदेश की शर्तानुसार, भुगतान ना, करते हुए, विभिन्न दिनांकों में 14 से 130 दिवस विलंब से भुगतान किया गया है। अनावेदक को बकाया राशि के भुगतान हेतु पत्र दिनाक 15.02.2018, 28.06.2018 एवं दिनांक 19.09.2018 से लिखा गया है, एवं दुरभाष पर भी निवेदन किया जाता रहा है, किन्तु अनावेदक द्वारा भुगतान नही किया गया है।

अनावेदक द्वारा आवेदक से प्राप्त की गई सामग्री के प्रति, नियमानुसार नियत समयावधि में कोई भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नही कराई गई।

(9) एमएसएमईडी एक्ट 2006 की धारा 16 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना की दर से, प्रस्तुत संगणित मासिक ब्याज गणना पत्रक अनुसार आवेदक, अनावेदक से विलंब से प्राप्त भुगतान पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि एवं उस दिनांक 30.09.2020 तक की ब्याज राशि सहित कुल ब्याज राशि रू 20,02,954/– तथा अनावेदक पर बकाया कुल राशि रू. 15,36,511/– (2,15,583.48+13,20,927.52) एवं इस पर अपाईन्टेड डे दिनांक 04.11.2017 एवं 12.11.2017 से दिनांक 30.09.2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 8,96,836/– कुल दावा दावा राशि रू 44,36,300/– तथा इस राशि पर दिनांक 01.10.2020 से भुगतान दिनांक तक का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

.....4

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 895-896 दिनांक 10.11.2020, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में बिन्दुवार उत्तर एवं सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत नही किया गया एवं न, ही कोई सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 06.01.2020 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

सुनवाई दिनांक 06.01.2021 को काउन्सिल सुनवाई बैठक में आवेदक मेसर्स बॉक्स कोरुगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, भोपाल की ओर से श्री अरूण गोयनका **उपस्थित** एवं अनावेदक एमडी, बिहार स्टेट टेक्सट बुक पब्लिशिंग कॉर्प0लि0, पटना **अनुपस्थित** ।

बैठक में आवेदक को सुना गया।

आवेदक ने अवगत कराया कि, दिनांक 28.09.2020 को अनावेदक के विरुद्ध राशि रु0 15,36,511 एवं ब्याज राशि रु0 28,99,790 कुल राशि रु0 44,36,301 हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। अतः मुझे अनावेदक से देय राशि दिलवाई जाए। अनावेदक न उपस्थित हो रहे हैं और न ही नोटिस का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं।

काउंसिल ने पाया कि, प्रकरण में अनावेदक को नोटिस जारी हुआ है एवं तामील भी हुआ है। काउंसिल ने आवेदक की सहमति एवं अनावेदक की अनुपस्थिति के आधार पर प्रकरण में मूलधन का आदेश अनावेदक को भुगतान करने हेतु एकपक्षीय आदेश पारित करने का निर्णय लिया। अंतिम आदेश जारी हो।

अनावेदक ने आवेदक द्वारा दावा की गई बकाया मूलधन एवं ब्याज राशि के संबंध में कोई भी आपत्ति के तथ्य/कथन प्रस्तुत कर, आवेदक के दावा आवेदन पत्र का प्रतिकार नही किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रस्तुत अभिलेखों से, आवेदक द्वारा प्रदर्शित सामग्री के बिलो की बकाया कुल राशि रू. 15,36,511/- का दावा स्थापित होता है तथा आवेदक की सहमति के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक प्रबंध संचालक, बिहार स्टेट टेक्सट बुक पब्लिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड पाठ्य पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800001 द्वारा, बकाया मूलधन राशि रू. 15,36,511/- (रूपये पन्द्रह लाख छत्तीस हजार पांच सौ ग्यारह मात्र) का भुगतान आवेदक मेसर्स बॉक्स कॉरूगेटेड एण्ड ऑफसेट प्रिंटर्स, 14-बी, सेक्टर-आई, इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल-462023 (मध्यप्रदेश) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

.....5

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(शरद मोहन अग्रवाल)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।